## Order Sheet [Contd] Case No 85/2000 मु0फो0

|                                   | Case No 85/   | 72000 मु०५।0  |
|-----------------------------------|---|---|
| Date of<br>Order or<br>Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding   | Signature of<br>Parties or<br>Pleaders where<br>necessary |
| 03.10.2017                        | राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।  आरोपी समस्याल स्वयं उपस्थित।  आरोपी की ओर से एक आवेदनपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की गई है कि उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भाठदंठविठ की धारा 304बी में दोषमुक्त किया गया है और धारा 498ए भाठदंठविठ का अर्थदण्ड यथावत रखा गया है। अतः 1000/— रूपए जमा किए जाने की प्रार्थना की गई है। आरोपी रामदयाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ खिल्यर की आपराधिक अपील कमांक 31/2001 रामदयाल विठ मठप्रठ शासन में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2003 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, प्रमाणित प्रतिलिपि के पृष्ठ कमांक 7 व 8 स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं है। आरोपी को निर्देशित किया गया कि वह उक्त निर्णय की अन्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। आरोपी की ओर से प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई।  उक्त दोनों प्रतियों को अवलोकन किया गया।  आरोपी को इस न्यायालय द्वारा भाठदंठविठ की धारा 304बी, 498ए में दोषसिद्ध पाते हुए कमशः 5000/— एवं 1000/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने एवं अर्थदण्ड जमा न करने पर यह विविध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।  प्रतियों के अवलोकन से दर्शित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अशतः स्वीकार करते हुए आरोपी को भाठदंठविठ की धारा 304बी के स्थान पर धारा 306 भाठदंठविठ के अंतर्गत दोषी पाया है तथा भाठदंठविठ की धारा 498ए की दोषसिद्ध एवं दण्डादेश यथावत रखा है।  प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी की दोषसिद्धि साठदंठविठ की धारा 304बी के स्थान पर 306 भाठदंठविठ में करते हुए आरोपी को मुगते गए कारावास के दण्डादेश से दंडित किया है, किन्चु भाठदंठविठ की धारा 306 के अंतर्गत आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किस अर्थदण्ड से दंडित किया है का उल्लेख नहीं है।  अतः आरोपी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आपराधिक अपील कमांक 31/2001 में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2003 के अनुसार | necessary   |
|                                   | भा0दं०वि० की धारा ४९८ए में किए गए अर्थदण्ड १०००/— रूपए जमा किए  |   |

